भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

GWH.HRMD.ADM.No.S432/01-01-003/2021-2022 June 30, 2021

BY EMAIL

महोदय/महोदया,
Dear Sir/Madam,

स्टाफ – श्रेणी III – भर्ती – सहायक – नियुक्ति का प्रस्ताव
Staff – Class III – Recruitment – Assistant - Offer of appointment

भारतीय रिज़र्व बैंक में सहायक पद के लिए आपके आवेदन तथा उसके पश्चात ऑनलाइन परीक्षा, इस कार्यालय में किए गए भाषा प्रवीणता परीक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और दस्तावेज़ सत्यापन के संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता हैं कि बैंक निम्नलिखित नियमों और शर्तों पर आपको अस्थायी आधार पर सहायक के पद पर नियुक्ति हेतु विचार करने के लिए तैयार है।

With reference to your application for the post of Assistant in the Reserve Bank of India and subsequent on-line test, Language Proficiency Test, Biometric Verification and document verification carried out at this office, you are advised that the Bank is prepared to consider you for the post of Assistant on a temporary basis on the following terms and conditions.

आप भारतीय रिज़र्व बैंक के गुवाहाटी कार्यालय के किसी भी विभाग में सहायक के पद पर नियुक्त किए जा सकते हैं। आपको प्रशासनिक आकस्मिकता होने पर पूर्वी क्षेत्र के निम्नानुसार कार्यालयों में स्थानांतरित किया जा सकता है: गुवाहाटी, शिलांग, अगरतला, इम्फाल और ऐज़वाल ।

You are liable to be posted as Assistant in any of the departments of the Bank's Guwahati Office. You are liable to be transferred/work in administrative exigencies to centres within East Zone offices as under:
Guwahati, Shillong, Agartala, Imphal and Aizawl

बैंक द्वारा समय-समय पर तय किए गये समय अनुसार आपको ड्यूटी पर रिपोर्ट करना होगा और समय-समय पर बैंक द्वारा सौंपे गये सभी कर्तव्यों का पालन करने हेतु आप उत्तरदायी होंगे।

You will be liable to report for duty at such hours as may be decided by the Bank from time to time and will be required to perform all such duties as assigned to you by the Bank from time to time.

2. **वेतन**: आपको 13150- 750(3) – 15400 – 900(4) – 19000 – 1200(6) – 26200 – 1300(2) – 28800 – 1480(3) – 33240 – 1750(1) – 34990 (20 वर्ष) के वेतनमान में ₹14,650/- के प्रारंभिक प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त किया जायेगा। वर्तमान में, सहायक पद के लिए प्रारंभिक मासिक सकल परिलब्धियां लगभग

मानव संसाधन प्रबंध विभ्ग स्टेशन रोड, पान बाजार, गुवाहाटी असम HRMD, Station Road, Panbazar, Guwahati - 781 001,Assam
टेली Tel: (0361) 2600255 / 2517111 फैक्स FAX (0361) 2540033
हिन्दी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाईए
चेतावनी: रिज़र्व बैंक द्वारा ईपासवर्ड आदि नहीं मांगी जाती है। यह , कॉल के जरिये किसी की भी व्यक्तिगत जानकारी जैसे बैंक के खाते का ब्यौरा-एसएमएस या फोन , डाक , मेल- धन लखने या देने का प्रस्ताव भी नहीं करता है। ऐसे प्रस्तावों का किसीभी तरीके से जवाब मत दीजिये।
Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, Passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers.

₹ 36,091/- हैं। इसके अलावा अगर आपने पहले से सीएआईआईबी उत्तीर्ण किया है तो आपकी नियुक्त की तिथि से बैंक के नियमों के अंतर्गत अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी।

Pay: You will draw a starting basic pay of ₹ 14,650/- per month (i.e. ₹ 13,150/- plus two advance increments admissible to graduates only) in the scale of 13150- 750(3) – 15400 – 900(4) – 19000 – 1200(6) – 26200 – 1300(2) – 28800 – 1480(3) – 33240 – 1750(1) – 34990 (20 years). At present, initial monthly Gross emoluments for Assistants is approximately ₹ 36,091/-. In addition you will be granted advance increments as admissible under the Bank's Rules, if you already possess C.A.I.I.B. qualification, from the date of your appointment.

3. **अन्य भत्ते**: आपको बैंक द्वारा समय समय पर तय किए गये महंगाई भत्ता, शहर प्रतिपूरक भत्ता, परिवार भत्ता और अन्य भत्ते और अतिरिक्त वेतन आदि देय होंगे।

Other Allowances: Dearness Allowance, City Compensatory Allowance, Family Allowance, Conveyance Allowance and other allowances and additional pay etc. will be at the rate in force from time to time.

4. **आवास भत्ता**: आप बैंक के सभी केंद्रों पर किसी ऊपरी सीमा के बिना समान रूप से वेतन के 15% (अगले उच्चतर रूपए में पूर्णांकित) आवास भत्ता पाने के लिए पात्र होंगे। तथापि, कृपया नोट करें कि जिन कर्मचारियों को बैंक द्वारा आवास प्रदान किया जाता है उन्हें आवास भत्ता का भुगतान नहीं किया जाएगा। उनसे लाइसेंस शुल्क के रूप में ₹ 13,150/- के प्रारंभिक वेतन पर मूल वेतन की @0.30% राशि वसूल की जाएगी जिसे अगले उच्चतर रुपए पर पूर्णांकित किया जाएगा। बैंक के फ्लैट में केवल परिवार के सदस्य, जैसे लीव एवं लाइसेंस करार की अनुसूची में घोषित पत्नी/पति, बच्चे और माता/पिता ही उनके साथ अतिरिक्त किराए के भुगतान के बिना रह सकते हैं। कर्मचारी के परिवार सदस्य के अलावा किसी रिश्तेदार को उनके साथ एक महीने से अधिक रहना चाहता हो, तो कर्मचारी को बैंक की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है।

House Allowance: You will be eligible to draw house allowance at 15% of pay (rounded off to the next higher rupee) uniformly at all centres without any ceiling. However, please note that employees who are provided residential accommodation by the Bank will not be paid House Rent Allowance. A License Fee will be recovered from them @0.30% of pay at starting pay of ₹ 13,150/- rounded off to the next higher rupee. Only family members of an employee, viz. spouse, children and parents as declared in the schedule to live and License agreement, can stay with him / her in the Bank's flat without payment of additional rent. Prior permission of the Bank has to be obtained to accommodate any relative other than family members, in case their period of stay exceeds beyond a month.

5. **पेंशन** : आप पर निर्धारित अंशदान वाली `न्यू पेंशन स्कीम` लागू होगी।

Pension: You will be governed by the Defined Contribution 'New Pension Scheme'.

6. **चिकित्सा सहायता निधि**: आपको समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसरण में बैंक की सेवा में कार्यग्रहण की तिथि से बैंक की चिकित्सा सहायता निधि योजना में शामिल होना और अंशदान देना आवश्यक है।

Medical Assistance Fund: You will be required to join and contribute to the Bank's Medical Assistance Fund Scheme from the date of joining the service of the Bank in accordance with the relative rules/regulations in force from time to time.

7. **<u>नियुक्ति की समाप्ति/इस्तीफा</u>**: आपकी नियुक्ति किसी भी समय पर बिना किसी सूचना के समाप्त की जा सकती है। तथापि, निलंबन की अवधि या उस अवधि के दौरान जब आपके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्रवाई अनिर्णित हो, आप सक्षम प्राधिकारी की लिखित पूर्वानुमति के बिना बैंक की सेवा नहीं छोड सकते और किसी प्रकार का नोटिस या त्यागपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में प्रभावी नहीं होगा।

<u>Resignation/termination of appointment:</u> Your appointment will be terminable at any time without notice. However, you will not leave or discontinue your service in the Bank without the prior approval in writing of the Competent Authority during the period you are placed under suspension or during the pendency of disciplinary proceedings against you and any notice or resignation given shall not take effect unless the resignation is accepted by the Competent Authority.

8. **<u>स्थायीकरण</u>**: बैंक में छह महीने की सेवा पूरी होने के पश्चात आप सामान्यत: बैंक में स्थायीकरण के लिए पात्र होंगे। नियत दिनांक को स्थायीकरण न होने से वरिष्ठता में नुकसान हो सकता है। बैंक आपसे उच्च स्तर के प्रदर्शन की उम्मीद करता है और बैंक में आपका स्थायीकरण आपके संतोषजनक सेवा रिकॉर्ड एवम् छुट्टी रिकार्ड पर निर्भर होगा।

<u>Confirmation:</u> You will ordinarily be eligible for confirmation on successful completion of six months service. Non-confirmation on the due date will normally entail loss of seniority. As the Bank expects a high level of performance from its employees, your confirmation in the Bank's service will depend upon your rendering high level of performance and maintaining satisfactory service record including leave record.

9. **<u>वरिष्ठता</u>**: ऑनलाईन परीक्षा में आप द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर आपकी परस्पर वरिष्ठता निर्धारित होगी। बैंक के नियमों के अनुसार नियत तिथि को स्थायीकरण न होने पर और कार्य में संतोषजनक/उच्चतर स्तर न रखने पर वरिष्ठता में नुकसान हो सकता है और आपके स्थायीकरण के समय नयी वरिष्ठता सूची में आपको निर्धारित किया जाएगा।

<u>Seniority:</u> Your inter-se seniority would be determined on the basis of your merit as decided by the Selection Committee/Board based on the marks obtained by you in the Online Examination. As per the Bank's rules, non-confirmation on the due date including performance below the expected level will entail loss of seniority and fresh seniority will be decided at the time of confirmation.

10. **<u>चिकित्सा जाँच</u>** : बैंक में नियुक्ति का प्रस्ताव अगर आपको स्वीकार्य हो तो आप अपने स्वयं के खर्च पर अनुबंध 1 में निर्धारित चिकित्सा / डायग्नोस्टिक जाँच अनुबंध **V** में दर्शाए गये डायग्नोस्टिक सेंटरों में से किसी एक केंद्र पर करना होगा। बैंक में आपकी नियुक्ति बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा बैंक में सेवा करने योग्य रिपोर्ट पर निर्भर होगा। अगर आप सेवा में रिपोर्ट करते समय योग्य नहीं पाए गए तो आपको नियुक्ति की दिनांक से छह महिने बाद फिर से निर्धारित चिकित्सा/ डायग्नोस्टिक परीक्षण करवाना होगा। अगर आप नियुक्ति दिनांक से एक साल के बाद चिकित्सा/ डायग्नोस्टिक जाँच के बाद बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा योग्य होने का तथा सेवा में रहने के पात्र नहीं होते, तो आपकी बैंक की सेवा किसी भी सूचना या क्षतिपूर्ति के बिना तत्काल समाप्त की जाएगी। **आपके उपचार, चिकित्सा जाँच/पुन: जाँच आदि के संबंध में आपके द्वारा जो व्यय / खर्चा होनेवाला है, बैंक उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करेगी।** इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में बैंक किसी भी परिस्थिति में कोई पत्राचार नहीं करेगी।

आप कृपया ध्यान दें कि बैंक, आपके द्वारा उपचार, सुधार, इत्यादि या बाद में विकलांगता की वर्तमान हालत में आगे होने वाली जटिलता या किसी भी चोट या अपाहिज के लिए मुआवजे का भुगतान, जो वर्तमान विकलांगता का एक परिणाम के रूप में उत्पन्न हो सकती हो, के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं करेगी। आप किसी भी विकलांगता (शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए लागू) के कारण किसी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं कर सकते ।

Medical Examination: If the offer of appointment is acceptable to you, you will have to undergo medical /diagnostic tests as prescribed in Annexure at **one** of the diagnostic centers mentioned in the Annexure – V, at your own cost. Your appointment will be subject to your being found medically fit for service in the Bank by the Bank's Medical Officer or on re-examination after a period of 6 months from the date of your appointment if not found fit in the first instance. You may thereafter be allowed to continue in service subject to further re-examination, but in no event you will be continued in service beyond a period of one year from the said date unless before the expiry of that period you are found by the Bank's Medical Officer to be medically fit, failing which your services are liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof. **The Bank will not reimburse any expenditure incurred/to be incurred by you in connection with your treatment, medical examination/re-examination etc**. The Bank's decision in regard to your fitness or otherwise will be final and no correspondence in this regard will be entertained by the Bank under any circumstances.

You should note that the Bank would not reimburse any expenditure incurred by you in connection with treatment, correction, deterioration or further complication of the present condition of disability later on or pay compensation for any injury or invalidity which may arise directly or as a consequence of the present disability. You will not be granted any special privileges whatsoever on account of any disability **(applicable for Physically Handicapped candidates).**

11. **भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 1948** : आप नोट करें कि भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टाफ) विनियमावली 1948 के अध्याय IV (प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जाएगी) जो आचरण, अनुशासन और अपीलों से संबंधित है और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के परिनिर्णय और समझौतों के अधीन है, आपकी नियुक्ति की तिथि से आप पर लागू होगी।

RBI (Staff) Regulations, 1948: You should note that Chapter IV (copy will be made available) of the Reserve Bank of India (Staff) Regulations, 1948 regarding conduct, discipline and appeals subject to Awards and Settlements under Industrial Disputes Act, 1947, will be applicable to you from the date of your appointment.

12. **प्रमाणपत्र / प्रशंसापत्र**: बैंक में नियुक्ति के लिए रिपोर्टिंग करते समय पर, आपको उम्र के बारे में प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, अनुभव और अन्य प्रशंसापत्र, अगर हो तो, की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगर आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के हो तो आपको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

Certificates/Testimonials: At the time of reporting for appointment, you will be required to produce the original certificates regarding your age, educational qualifications, domicile certificate, experience and also the original testimonials, etc. as required by the Bank. In case you belong to Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ OBC, you are required to produce the caste certificate in the prescribed form from a Competent Authority empowered to issue such a certificate.

13. **कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र** : अगर वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत हो तो उस संस्था से 'बिना शर्त कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करना होगा।

Certificate of Release: You will be required to produce proper unconditional relieving letter from your present employer, if any.

14. **चरित्र प्रमाणपत्र** : आप, नियुक्ति के पहले, संलग्न तीन चरित्र प्रमाणपत्र (जिन में से दो फॉर्म्स किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रेड 'बी' या उनसे उपर की ग्रेड के अधिकारी द्वारा और एक फॉर्म प्रधानाचार्य/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के प्राचार्य/प्रमुख हस्ताक्षरित हो, जहाँ उम्मीदवार ने शिक्षण लिया हो, प्रस्तुत करना आवश्यक हैं।

Character certificate: You should produce, before appointment, the enclosed three forms of Character Certificates of which two shall be duly signed by a gazetted officer or Officers in Grade 'B' or above of the Bank and one from the Principal/Head of the School/College/University last attended.

15. **ऋण/चल/अचल संपत्ति की घोषणा**: बैंक में नियुक्ति के समय आप को घोषणापत्र देना जरूरी हैं जिसमें आपके कर्ज के बारे में घोषणा, चल और अचल संपत्तियों का विवरण, यदि कोई हो तो, प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं।

Declaration regarding indebtedness/movable/immovable properties: You should furnish a declaration regarding your indebtedness, particulars of the movable and immovable properties, if any, owned by you at the time of your appointment.

16. **जमानत बॉण्ड** : नियुक्ति के समय आपको एक करार (Agreement) निष्पादित करना होगा और बैंक को एक जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। किसी श्रेणी I अधिकारी या श्रेणी III के कर्मचारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, केंद्र/राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र (केंद्र/राज्य) में कार्यरत श्रेणी I या श्रेणी III के कर्मचारी द्वारा, आपकी नियुक्ति के समय निर्धारित प्रपत्र (नमूना संलग्न) प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं। यदि जिसने जमानत दी है, उसका निधन या दिवालिया होने या पागल होने या करार करने के काबिल न होनेपर, आप तुरंत बैंक को उस घटना के बारे में सूचित करेंगे और उसके बदले में अपने स्वयं के खर्च से दूसरा बांड, जो बैंक को स्वीकार्य होना जरूरी है, प्रस्तुत करना होगा।

Bond by a surety: You will have to execute an agreement and arrange to furnish to the Bank a Bond by a surety who should be a permanent employee of the Bank in Class I or III or of any Nationalised Bank, Central / State Government or a permanent employee of Class I or II in Public Sector or a State owned organization (both Central / State) acceptable to the Bank, in the prescribed form (Specimen enclosed) at the time of your appointment. In the event of the surety passing away or becoming an insolvent or becoming lunatic or otherwise becoming incapable of contracting, you will immediately intimate to the Bank of the occurrence of such event as soon as the said event occurs and furnish to the Bank a Bond from another surety acceptable to the Bank and execute / cause to be executed such further documents as the Bank may require at your own cost.

17. **अतिरिक्त जानकारी** : बैंक में आपकी नियुक्ति, समय समय पर बैंक द्वारा मांगी गई अपेक्षित जानकारी और उस जानकारी के तहत आपकी सेवाएं बैंक को स्वीकार्य हो, पर निर्भर हैं।

Additional Information: Your appointment will be subject to your furnishing such information as the Bank may require from time to time and subject to your services being acceptable to the Bank in the light of the information furnished.

18. **गलत आचरण** : आपके बैंक में नियुक्त होने के पश्चात अगर बैंक के ध्यान में आपके कदाचार के किसी भी कार्य के बारे में जानकारी मिलती है तब बैंक कोई सूचना तथा क्षतिपूर्ति दिए बिना आपकी सेवा तत्काल समाप्त करेगी। अगर आपकी सेवाएं बैंक द्वारा समाप्त नहीं की जाती, तो बैंक जैसे उचित समझे, आपके विरूध्द अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है और/अथवा जुर्माना लगा सकता है।

Act of Misconduct: If after your joining the Bank's service, it comes to the notice of the Bank that prior to joining the Bank's service you had committed any act of misconduct, your services are liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof, or if your services are not so terminated, you shall be liable to disciplinary measures and to the imposition of any penalty, as Bank may deem fit.

19. **यात्रा भत्ता**: यह नोट करें कि बैंक नियुक्ति के संबंध में आपको कोई यात्रा भत्ता प्रदान नहीं करेगा।

Travelling Allowance: No travelling allowance will be paid to you on account of your journey in connection with your appointment.

20. **पुलिस सत्यापन** : आपकी नियुक्ति, आपके चरित्र और पुलिस अधिकारियों द्वारा पूर्ववृत्त के सत्यापन फॉर्म के मद सं. 12 के अधीन किए गये आपके घोषणापत्र के आधार पर की जा रही है। भविष्य में अगर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात, बैंक आपको कोई कारण/सूचना या मुआवजा/क्षतिपूर्ति बताए/दिए बिना सेवा से मुक्त कर सकता है।

Police Verification: Your appointment is being made on the basis of your declaration made under item No.12 of the Attestation Form, pending verification of your character and antecedents by the police authorities concerned. In the event of our receiving any unfavourable police report/s at a later date, your appointment in the Bank would be liable for termination forthwith without assigning any reason/notice or compensation in lieu thereof.

21. **झूठी जानकारी देना/ जानकारी छिपाना** : आपके द्वारा दिए गए घोषणा तथा जानकारी भविष्य में गलत या असत्य पाई जाती हैं तो आपकी सेवाओं को किसी भी सूचना या क्षतिपूर्ति के बिना तत्काल समाप्त किया जाएगा।

Submission of False Information/ Suppression of Information: If any declaration, statement or information given by you is at any time found to be false or untrue or if any material particular is suppressed, your services are liable to be terminated forthwith without any notice or compensation in lieu thereof.

22. **जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए)**
आपकी नियुक्ति अस्थायी है और उचित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र उचित माध्यमों द्वारा सत्यापित करने पर निर्भर हैं। भविष्य में अगर बैंक को यह पता चलता है कि आपके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र गलत हैं/झूठा हैं, तो बैंक कोई कारण बताए बिना आपकी सेवाओं को समाप्त करेगी। ऐसा गलत प्रमाणपत्र देने से आप भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत उचित कार्रवाई के लिए पात्र होंगे।

Verification of Caste Certificate (for SC/ST candidates only): The appointment is provisional and is subject to Scheduled Caste or Scheduled Tribe certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe as the case may be, is false, your service will be terminated forthwith without assigning any further reason and without prejudice to such

further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false caste certificate/s.

23. **<u>जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन (केवल ओ बी सी उम्मीदवारों के लिए)</u>** : आपकी नियुक्ति अस्थायी है तथा यह आप द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र के उचित माध्यम से सत्यापन के अधीन है। यदि सत्यापन से पता लगता है कि ओ बी सी से संबद्ध होना अथवा क्रीमी लेयर से संबद्ध नहीं होने का आपका दावा झूठा है तो आपकी सेवायें बिना और कोई कारण बतायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेंगी साथ ही इससे झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत आपके विरुद्ध कार्रवाई के बैंक के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

<u>Verification of Caste Certificate (for OBC candidates only):</u> Your appointment is provisional and is subject to the community certificate being verified through the proper channels. If the verification reveals that your claim of belonging to Other Backward Class or not belonging to creamy layer is false, your services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of Indian Penal Code for production of false certificate.

24. **<u>ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र का सत्यापन (केवल ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए)</u>** : आपकी नियुक्ति अस्थायी है और उचित चैनलों के माध्यम से आय और संपत्ति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है और यदि सत्यापन से पता चलता है कि ईडब्ल्यूएस से संबंधित होने का दावा फर्जी/झूठा है, तो बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवाओं को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। फर्जी/झूठे प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।

<u>Verification of EWS Certificate (for EWS candidates only):</u> The appointment is provisional and is subject to the Income and Asset Certificate being verified through the proper channels and if the verification reveals that the claim to belong to EWS is fake/false the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of fake/ false certificate.

25. **<u>पेंशन भुगतान आदेश (PPO) - पूर्व सैनिकों के लिए</u>**

(i) अगर आपने रक्षा सेवा से सेवानिवृत्त होते समय कमीशन अधिकारी के पद से नीचे के पद पर सेवा की हो और आप पुन: सेवा में कार्यरत हो जाए **(Re-employed)** तो आपको न्यूनतम वेतन (पूरी पेंशन को न गिनते हुए) पर समय समय पर लागू केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पेंशन राशि (रक्षा सेवा से देय) पर महंगाई भत्ता देय होगा।

(ii) आपके पेंशन भुगतान आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, यदि पहले न किया हो। आपकी नियुक्ति के समय पर आप बैंक द्वारा देय महंगाई भत्ता लेना चाहते हो या सरकार द्वारा पेंशन पर देय महंगाई राहत लेना चाहते हो इस बारे में आपको निर्धारित प्रारूप में घोषणा करनी होगी।अगर आपने भारतीय रिज़र्व बैंक से देय महंगाई भत्ता का विकल्प लेना पसंद किया तो आपको रक्षा सेवा के पेंशन लेखा अधिकारी को आपको भारतीय रिज़र्व बैंक में नियुक्ति के बारे में सूचना देनी होगी और पेंशन संवितरण शाखा को इस बात से अवगत कराना होगा। रक्षा सेवा से मिलने वाली महंगाई भत्ता राहत बंद करने की सूचना देनी होगी। आपके बैंक में नियुक्त होने के तीन महीने के अंदर पेंशन महंगाई भत्ता राहत जिस बैंक शाखा से वितरण होती है, उनसे पेंशन महंगाई राहत बंद कर दिया है ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । अगर यह प्रमाणपत्र आप तीन महीने में प्रस्तुत नहीं कर सके तो आपको भारतीय रिज़र्व बैंक से देय महंगाई भत्ता देना बंद होगा।

<u>Pension Pay Order (for ex-servicemen only)</u>: (i) Dearness Relief at rates as per the Government directions applicable from time to time on the amount of pension (drawn by

you from defence service) will be admissible to you, if you had held posts below the rank of commissioned officer at the time of your retirement and if your pay on re-employment is fixed at the minimum of the pay scale of the post in which you are re-employed (ignoring the entire pension admissible).

(ii) You should submit a certified copy of Pension Pay Order (PPO) if not already done. You should exercise option either to draw Dearness Allowance payable by the Bank or to draw Dearness Relief payable on pension by Government, at the time of your appointment, in the prescribed format. In the event of your opting for Dearness Allowance from the Reserve Bank of India, please note that, immediately on your appointment in the Bank, you should inform the Pension Accounts Officer of defence service, as well as the Pension Disbursing branch of the concerned bank about your re-employment and to stop payment of Dearness Relief on the military pension, under advice to Reserve Bank of India. You should submit a certificate from the branch manager of the concerned bank indicating that they have stopped making disbursement of Dearness Relief on military pension, within three months from date of your appointment, failing which the Reserve Bank of India would stop payment of Dearness Allowance.

26. **धर्म में परिवर्तन (केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए)**

आप अनुसूचित जाति के सदस्य है, तो आप कृपया यह नोट करें कि धर्म में परिवर्तन की स्थिति में (यदि कोई है तो), बैंक को इस परिवर्तन के बारे में तत्काल सूचित करना होगा।

Change in Religion (for SC candidates only): You being a member of the Scheduled Caste should note to intimate to the Bank forthwith change, if any, in your religion in future.

27. आप किसी भी संक्रामक रोग से (त्वचा रोग के किसी भी प्रकार सहित) बाधित होने पर बैंक के चिकित्सा अधिकारी को तत्काल रिपोर्ट करेंगे और बैंक चिकित्सा अधिकारी द्वारा ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के लिए प्रमाणित करने पर ही रिपोर्ट करेंगे । ऐसी अवधि में, अगर आप बैंक सेवा में कार्यरत हो, आपकी अनुपस्थिति साधारण छुट्टी/बीमारी छुट्टी/असाधारण छुट्टी देकर नियमित की जाएगी ।

You should, in the event of your contracting any contagious or infectious disease (including any type of skin disease), report forthwith to the Bank's Medical Officer for examination and shall not report for duty unless and until certified by Bank's Medical Officer as fit for carrying out duties assigned to you. Your absence during such period, if you are continued in the service, shall be treated as absence on Ordinary Leave, Sick Leave or Extra Ordinary Leave as may be admissible to you.

यदि ऊपर उल्लिखित नियम और शर्तें स्वीकार्य हों तो भर्ती पूर्व औपचारिकताओं को पूरा करने आप सभी आवश्यक दस्तावेजों के और इस पत्र के साथ दिनांक 09 जुलाई को सुबह 10:00 **बजे** इस कार्यालय में रिपोर्ट करें। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि, आप इस कार्यालय को रिपोर्टिंग करने से पहले अपना चिकित्सा जाँच पूरा करे। भर्ती पूर्व सभी औपचारिकताओं के पूरा होने पर आपको बैंक में नियुक्ति के संदर्भ में तारीख के बारे मे सूचित किया जाएगा।

If the above terms and conditions are acceptable, you should report to this Office for completing pre-recruitment formalities between **July 05, 2021 to July 16, 2021 at 10:00 A.M.** with this letter and with all the necessary documents. You are also advised to complete your Medical Test before reporting to this Office. On completion of all the pre-

recruitment formalities, you will be considered for appointment on the date to be intimated to you later.

कृपया आप यह भी नोट करें कि यदि आप ऊपर उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहते हैं या आप उक्त दिनांक को बैंक में रिपोर्ट करने में असफल रहते हैं तब यह माना जाएगा कि आपको बैंक में नियुक्ति के प्रस्ताव पर दिलचस्पी नहीं है। आपका नाम उपरयुक्त पद हेतु चयन सूची में से, आगे आपसे कोई पत्राचार किए बिना हटा दिया जाएगा।

You should note that in the event of your failure to comply with the above requirements or in the event of your not reporting to this Office on the said date it will be presumed that you are not interested in the Bank's offer and your name will be deleted from the select list for the captioned post without any further reference to you.

तथापि, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान नियोक्ता से त्यागपत्र देने की प्रक्रिया, यदि कोई हो तो, बैंक से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर ही करें।

It is, however, made clear that steps for resigning from your present employer, if any, may be taken by you only on receipt of the Letter of Appointment from the Bank.

भवदीय

Yours faithfully,

एन.के.गोस्वामी

(एन.के. गोस्वामी / N K Goswami)

प्रबंधक (कार्मिक) / Manager(Personnel)

Encls.:

i) Chapter IV of RBI (Staff) Regulation, 1948 including extract of Regulation 45 a. (Will be provided to the candidates on reporting)
ii) 3 Character Certificate Forms
iii) Specimen of bond to be obtained from the surety
iv) List of medical tests to be undergone (Annexure IV)
v) List of diagnostic centres (Annexure V)
vi) 2 Referee Reports
vii) Present and Previous Employer Reports
viii) Option form for Dearness Allowance / Dearness Relief (for Ex-Servicemen only)

नियुक्ति प्रस्ताव का दस्तावेज़ प्राप्त हुआ

Received offer of Appointment document

नियुक्ति के प्रस्ताव में दिए गए नियम व शर्तों को मैंने पढ़ लिया है और मैं यह घोषणा करता / करती हूं की ये मुझे स्वीकार हैं/स्वीकार नहीं है।

I have read the terms and conditions mentioned in the offer of appointment and declare that the same are acceptable / not acceptable to me.

उम्मीदवार का नाम / Name of the candidate : ______________________

हस्ताक्षर व दिनांक / Signature & Date : ______________________